सं. 11013/9/2014-स्था. क-।।।
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-।।। डेस्क

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
दिनांक :22 जून, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी का पालन ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा समय की पाबंदी का पालन करने की आवश्यकता के संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। कर्मचारियों द्वारा समय की पाबंदी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की है।

2. केन्द्र सरकार के कार्यालयों, जिनमें संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय भी सम्मिलित हैं, में समय की पाबंदी सुनिश्चित के लिए हस्तचालित प्रणाली के स्थान पर आधार समर्थित बायोमैट्रिक हाजिरी प्रणाली (एईबीएएस) प्रारंभ करने के फैसले का कार्यान्वयन सभी मंत्रालयों/विभागों में किया जाना है। इस कार्यालय के दिनांक 21.11.2014 तथा 28.01.2015 के समसंख्यक ज्ञापन के तहत बायोमैट्रिक हाजिरी प्रणाली को केवल एक समर्थकारी मंच स्वीकार करने के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्यालय के घंटों, देरी से हाजिरी इत्यादि से संबंधित अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

3. इस संदर्भ में केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 (1) (ii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर समय कर्त्तव्य के प्रति समर्पित रहना है। आदतन देरी से आने को सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय व्यवहार माना जाएगा तथा ऐसे सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा हाजिरी में समय की पाबंदी का पालन सभी स्तरों के किया जाएगा।

4. यह भी अनुरोध है कि सभी कर्मचारियों को अपनी हाजिरी बायोमैट्रिक हाज़िरी प्रणाली (बीएएस) पोर्टल पर नियमित रूप् से दर्ज करने के लिए आवश्यक निदेश जारी किए जाएं।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्थापना)
दूरभाष : 23093176

सेवा में:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इस का.ज्ञा. को इस विभाग की वेबसाईट पर कार्यालय ज्ञापन → आदेश → स्थापना → कंडक्ट रूल्स पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।